(25)

न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट बेंच (रीवा)

R 5186-III/16 RS. 30/-

1. सुरसरि सिंह पिता श्री सूर्यबली सिंह,
2. उमाशंकर मिश्रा पिता श्री भगवानदास मिश्रा दोनो निवासी ग्राम ताला, थाना चंदिया तहसील चंदिया, जिला–उमरिया म0प्र0 ...... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सच्चिदानंद तिवारी, पिता श्री ऋषिराम तिवारी, निवासी चंदिया थाना तहसील चंदिया जिला–उमरिया म0प्र0

.......उत्तरदातागण

2. म0प्र0 शासन

निगरानी विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर जिला उमरिया म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 14/अ–74/2014–15 प्रकरण उन्मान सच्चिदानंद तिवारी विरूद्ध म0प्र0 शासन आदेश दिनांक 23.02.2016 में पारित किये गये आदेश से व्यथित होकर

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है कि :–

1. यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला उमरिया के समक्ष प्रकरण क्र0 14/अ–74/2014–15 में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय कलेक्टर महोदय जिन्हें आगे से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के नाम से संबोधित किया जायेगा, उनके द्वारा दिनांक 18.01.2016 को निगरानीकर्तागण की आपत्ति निरस्त कर दी गई, एवं दिनांक 23.02.2016 को अंतिम आदेश पारित कर दिया है। जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्तागण, निगरानी मेमो में वर्णित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर रहे है।

संक्षेप मे प्रकरण का विवरण

1. यह कि संक्षेप में प्रकरण के अनुसार ग्राम चंदिया स्थित आराजी नम्बर 914/2क रकवा 0.607 हे0 एवं आराजी खसरा नं0 914/2ख रकवा 0.607 हे0, उत्तरदाता क्र0 1 के पिता की स्वअर्जित भूमि का बटांकन/सीमांकन दिनांक 30.06.1999 को कराया गया था आराजी खसरा नं0 914/2क उत्तर की ओर तथा 914/2ख लंबा लंबा दक्षिण की ओर तर्मीम हुआ था। वर्तमान नक्शे में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के त्रुटिवश 914/2ख के स्थान पर 914/2क गलत अंकित कर दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर पूर्ववत् नक्शा सुधार के लिये

25

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted]रण क्रमांक R5186-III/16 — जिला–उमरिया

सुरसरि सिंह/ सच्चिदानन्द तिवारी

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुद्रिका विश्वकर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 14/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	